फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

संजय जांगिड बनाम श्रीमती विमला देवी

केस संख्या : 27/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08.06.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित है। अपीलान्ट को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 75/2022 व उनवानी श्रीमती विमला देवी बनाम संजय जांगिड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्व यह अपील पेश की है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की जिस रिट याचिका का उल्लेख किया गया है उसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं है। यह अपील प्रत्यर्थी श्रीमती विमला देवी के पुत्र श्री संजय जांगिड द्वारा पेश की गई है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner